संख्या- 239 / 2023 /1600 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2023

विषयः- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों हेतु संग्रहालय के 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-358/उ0प्र0सं0नि0- 2(96)/2018-19, दिनांक 27 जून, 2023, पत्र संख्या-241/ उ0प्र0सं0नि0- 2(96)/2022-23, दिनांक 31 मई, 2023 एवं पत्र सं0- 154/उ0प्र0सं0नि0- 2(96)/2022-23, दिनांक 12 मई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संग्रहालय के 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु० 67,60,160.00 (रुपये सड़सठ लाख साठ हजार एक सौ साठ मात्र) उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव के सापेक्ष उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय - 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय -03-अधिष्ठान व्यय - 01- वेतन मद में से संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय -58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाली जायेगी।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 239 /2023 / 1600 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20232024-1600-Char-2023 Museum Outsourcing

विषय:- 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	01 (वेतन)	11,08,64,000 रुपये ग्यारह करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार मात्र	67,60,160 रुपये सड़सठ लाख साठ हजार एक सौ साठ मात्र	67,60,160 रुपये सड़सठ लाख साठ हजार एक सौ साठ मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	10,58,64,000 रुपये दस करोड़ अट्ठावन लाख चौंसठ हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 67,60,160	₹ 50,00,000		

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,10,000 रुपये एक लाख दस हजार मात्र	67,60,160 रुपये सड़सठ लाख साठ हजार एक सौ साठ मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	51,10,000 रुपये इक्यावन लाख दस हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 67,60,160	₹ 50,00,000		

संख्या:RE-budget-1-29-E-7-50-X-2023-24-दिनांक:25-07-2023

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या- 239 /2023 / 1600 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in